

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
बमुकद में ईत्दाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)  
प्रकरण संख्या :- 566/2024  
वाद पत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.

निर्मलसिंह पुत्र जगराजसिंह जाति जटसिख साकिन मालारामपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़  
-वादी-

### बनाम

- 1-इकबालसिंह पुत्र करतारसिंह
- 2-हंसासिंह पुत्र करनैलसिंह
- 3-केवलसिंह पुत्र तेजासिंह
- 4-कालासिंह पुत्र खेतासिंह
- 5-केवलसिंह | पुत्रगण तेजासिंह
- 6-जगतारसिंह | (कोडो पत्नी तेजासिंह मृत)
- 7-बलवीरकौर पत्नी गुरदयालसिंह पुत्र सज्जनसिंह
- 8-कुलदीपसिंह पुत्र गुरदयालसिंह पुत्र सज्जनसिंह
- 9-बुटासिंह | पि0 जगराजसिंह पुत्र सज्जनसिंह
- 10-वीरसिंह
- 11-धर्मसिंह
- 12-जेबासिंह पुत्र खेतासिंह
- 13-पप्पूसिंह पुत्र जरनैलसिंह पुत्र सन्तासिंह
- 14-जोरासिंह पुत्र लालसिंह
- 15-भोलासिंह पुत्र टाणासिंह पुत्र खेतासिंह
- 16-तेजां पुत्री खेतासिंह
- 17-प्रीतमसिंह पुत्र लालसिंह
- 18-फौजासिंह पुत्र लालसिंह
- 19-तेजकौर पत्नी बन्तासिंह पुत्र सन्तासिंह
- 20-मितूसिंह पुत्र सन्तासिंह
- 21-मिदो पुत्री खेतासिंह
- 22-रामसिंह पुत्र सज्जनसिंह
- 23-सुखदेवसिंह पुत्र लालसिंह
- 24-लाभसिंह पुत्र खेतासिंह
- 25-हरवंशसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह पुत्र सज्जनसिंह
- 26-एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, जरिये मैनेजर।
- 27-तहसीलदार राजस्व संगरिया।

जाति जटसिख साकिन मालारामपुरा

हाल आबाद बजीतपुरा भोमा  
तहसील अबोहर जिला फाजिल्का  
(पंजाब)



जाति जटसिख साकिन मालारामपुरा हाल  
आबाद ढाणी चक 3 आई डी जी

प्रतिवादीगण

महायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

दिनांक :- 28.10.2022

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वारंते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री ओमप्रकाश शर्मा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री ..... वकील प्रतिवादी मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:- चक 7 केएसडी के खाता संख्या 58/10 में कुल 0.759 हैक्टेयर मौके पर कब्जा काश्त की भूमि:-

1. निर्मल सिंह पुत्र जगराज सिंह जाति जटसिख सा.मालारामपुरा हाल आबाद वजीतपुरा भोमा तहसील अबोहर प.न. 145/119 मु.न. 54 11.20.21/0.759

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया

के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/231 दिनांक 07.08.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री के आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। प्रश्नगत भूमि रहन मुक्त होने के पश्चात ही नामान्तकरण दर्ज किया जावे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज  मुब्लिक  बाबत  खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक  को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 28.10.2022 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)  
महायुक्त क्लर्क एवं  
सहायक क्लर्क एवं  
उपरखास अधिकारी,  
संगरिया